FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): PANCHKULA

P.S. (थाना): PANCHKULA SECTOR-5

Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0040

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 05/02/2025 23:46 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(5)
3	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	351(2)
4	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	61

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Intervening Days

Date from (दिनांक से): 09/09/2024

Date To (दिनांक तक): 22/01/2025

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 00:00 hrs

Time To (समय तक): 00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 05/02/2025

Time (समय): 23:30 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 043

Date and Time (दिनांक और समय): 05/02/2025 23:46 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH-EAST, 1.0 Km(s)

Beat No. (बीट सं.): बीट नम्बर 95 सै0 4 हरिपुर

(b) Address (पता): 1022 SEC 4 PKL,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): JAI BHAGWAN MITTAL

(b) Father's Name (पिताका नाम): PREM CHAND

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1975 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	1022, SEC 4 PANCHKULA, PANCHKULA SECTOR-5, PANCHKULA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	1022, SEC 4 PANCHKULA, PANCHKULA SECTOR-5, PANCHKULA, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9877597625

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	PRIYA			1. DELHI,NEW DELHI,DELHI,INDIA
2	MAHAK			1. UNKNOWN,PANCHKULA SECTOR-5,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
3	AMIT BINDAL			1. UNKNOWN,PANCHKULA SECTOR-5,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
4	3 UNKNOWN PERSON			1. UNKNOWN,PANCHKULA SECTOR-5,PANCHKULA,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्रीमान जी लेख एक शिकायत क्रमांक 15-cp-pkl-darebar dt 03.02.2025 बाद जांच व बा आदेश अफसरानबाला के अभियोग अंकित करने हेतु थाना में प्रास हुई जो इस प्रकार से है सेवा में, श्रीमान पुलिस आयुक्त, पंचकुला, हरियाणा विषयः दरखास्त खिलाफ 1) प्रिया पत्नी श्री हरिंदर चन्द पता मकान नम्बर 36, गली नंबर 10, नांगलोई, दिल्ली, मोबाइल नंबर 7078758682, 2) महक मोबाइल नंबर 8860358483, 3) अमित बिन्दल मोबाइल नंबर 9215061234 व अन्य तीन ना मालूम व्यक्ति। प्रार्थीः- जय भगवान मित्तल उर्फ रॉकी मित्तल पुत्र प्रेम चंद निवासी 1022 सेक्टर 4, पंचकुला, निम्नलिखित अर्ज करता है:- श्रीमान जी,1. यह है कि प्रार्थी भाजपा का बहुत पुराना कार्यकर्ता रहा हूँ और हरियाणा सरकार में बतौर चेयरमैन पब्लिसिटी, हरियाणा कार्यरत था। 2. यह है कि दिनाँक 9 सितंबर 2024 को प्रार्थी के पास मोबाइल नंबर 7078758682 से फोन आया और दोषी नम्बर 1 और 2 ने प्रार्थी व मोहन लाल बडोली को हनीट्रैप में फंसाने की धमकी दी और जब प्रार्थी ने उनको लताड़ा तो उन्होंने दमकी दी या तो हमसे मिल लो नहीं तो हम तुम्हें और मोहन लाल बडोली को झूठे केस में फसा देंगे और यदि प्रार्थी ने उनकी मोहन लाल बडोली से मीटिंग नहीं करवाई तो वे प्रार्थी को भी हनी ट्रैप के झूठे मुकदमे में फंसाएंगे। 3. यह है कि 10 सितंबर, 2024 को भी दोषी नंबर 1 व 2 ने मुझे धमकी दी यदि तुमने हमारी मोहन लाल बड़ौली से मीटिंग कराकर सेटिंग नहीं करवाई और पैसे नहीं दिलवा, तो तुम्हे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और हम तुम्हें भी फंसाएंगे और जब प्रार्थी ने पूछा तुम ऐसे कैसे मुझे झूठे केस में फंसा सकते हो तो दोषीगण ने कहा आटे के साथ घुन भी पिसता है। इससे पहले दिनाँक 1 सितंबर, 2024 को दोषी नंबर 3 ने प्रार्थी को इसी ऐसी ही धमकी दी थी और इसी धमकी को आगे बढ़ाते हुए दोषी नम्बर 1 व 2 ने दोषी नंबर 3 व अन्य ना मालूम व्यक्तियों के साथ मिलकर अपराधिक षडयंत्र के तहत प्रार्थी को बार-बार धमकी दी और घर पर आकर हंगामा शुरू कर दिया ताकि प्रार्थी की समाज में इज्जत खराब कर सके और उससे पैसे ऐंठ सकें। 4. यह है कि प्रार्थी ने इस बारे में दिनांक 14 सितंबर, 2024 को डीजीपी, हरियाणा को एक शिकायत ऑनलाइन दी थी व मिलने का समय भी माँगा था। जिससे हो रहे संगठित अपराध पर इस पूर्ण विराम लगाया जा सके व दोषियों को सजा दी जा सके। 5. यह है कि दिनांक 18 सितंबर, 2024 को दोषीगन द्वारा प्रार्थी को फिर से ब्लैकमेल करने व धमकियाँ देने पर प्रार्थी ने पुलिस स्टेशन सेक्टर 5, पंचकुला को इस घटना की सूचना भी दी थी व डायल 112 पर भी सूचना दी थी क्योंकि उक्त दोषीगण महिला कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर प्रार्थी के निर्माणाधीन घर पर पहुंची थी और वहाँ पर मौजूद व्यक्तियों के सामने नया पैंतरा अपनाते हुए ज़ोर-ज़ोर से हंगामा करते हुए चिलाने लगी कि हमने रोकी मित्तल से पैसे लेने हैं जो उसने हमसे नौकरी लगवाने के नाम पर लिए थे। उसके बाद मैंने थाना सेक्टर 5 में शिकायत दी। पुलिस ने उक्त महिलाओ को थाने में आने के लिए कहा पर वे वहाँ न आई और वहाँ से भाग गई। दोषीगण द्वारा की गई कई कॉल की कॉल रिकोर्डिंग प्रार्थी के पास मौजूद हैं। 6. यह है कि उक्त दोषीगण जब अपने मंसूबों में कामयाब न हो पाए तो उन्होंने प्रार्थी व मोहन लाल बड़ौली के खिलाफ थाना कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में एक झूठी एफआइआर दर्ज करा दिया। 7. यह है कि दोषीगण संगठित अपराधियों का समूह है जो लोगो को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ठगता है और उक्त दोषीगन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए. आई.) का इस्तेमाल करके लोगो की सीडी त्याग करते है और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और जो व्यक्ति इन्हें पैसे नहीं देते उनके खिलाफ़ ऐसी झूठी एफआइआर दर्ज करा देते हैं। दोषीगण ने प्रार्थी व मोहन लाल बडोली को फँसाने के लिए अन्य स्थानों जैसे गोवा, दिल्ली पर भी ऐसे जाल बिछाए थे, लेकिन हमारी साफ छवि होने के कारण वो हमें कहीं फंसा न सकें। 8. यह है कि दिनाक 25 सितंबर, 2024 उक्त दोषी नंबर 1 व 2, पुलिस के बार-बार भुलाने पर थाने में आए और वहाँ पर माफी मांगी और कहा कि हम ये सब दोषी नम्बर 3 और अन्य राजनीतिक दबाव में आकर कर रही है। 9. यह है कि उपरोक्त दोषी नंबर 2 ने दिनाक 21 जनवरी 2025 को प्रार्थी को 7:57 पीएम, 8:40 पीएम पर दो बार व्हाट्सएप मिस्ड कॉल किए व दिनाँक 22 जनवरी 2025 को 7:39 एम को। फिर से व्हाट्सएप कॉल किया। इतनी

सारी मिस कॉल आने पर प्रार्थी ने जब रिटर्न कॉल की तो सामने से दोषी नंबर 2 ने मुझे अपना परिचय देते हुए कहा मैं और अमित बिंडल इस प्लान की मास्टरमाइंड है और मैं तुम्हारा प्रिया के साथ कसौली वाले केस में समझौता करा दूंगी हमें बस ₹50,00,000 दे दो। जब मैंने उसे ना बोल दिया तो दोषी नम्बर 2 धमकी देते हुए कहने लगी कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और इसके बाद दोषी नंबर 2 ने जगह-जगह उस कॉल का स्क्रीनशॉट लेकर प्रदर्शन, कैंडल मार्च व झूठे इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। उक्त दोषीगणों का एक समूह है जो लोगों को झूठे केसों में फंसाकर ठगते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। 10. यह है कि प्रति इस घटना की सूचना पुलिस को पहले इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि इसी समय प्रार्थी की पोती की असमय मृत्यु हो गई थी प्रार्थी व उसका पूरा परिवार सदमे में था। 11. यह कि प्रार्थी को अपनी व अपने परिवार की जान-माल की चिंता है क्योंकि इनके संबंध गुंडों तत्वों के साथ है, जिसके चलते ये अपराधी अपने मंसूबों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त दोषियों के खिलाफ़ तफतीश की जाए व सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, सारे गैंग को गिरफ्तार किया जाए और प्रार्थी के जान और माल की रक्षा की जाए। धन्यवाद।। दिनांक: 3/2/25. प्रार्थी Sd/- जय भगवान मित्तल उर्फ रॉकी मित्तल मोबाइल नो. 9877597625 अज-एक शिकायत क्रमांक 15-cp-pkl-darebar dt 03.02.2025 बर शिकायत जयभगवान मितल उर्फ रौकी मितल पुत्र श्री प्रेम चन्द वासी म०न० 1022, सैक्टर-4 पंचकुला बर खिलाफ प्रिया पत्नी हरिंदर चन्द वासी मकान न० 36 गली न० 10 नांगलोई दिल्ली, महक व अमित बिंदल व अन्य 3 नामपता नामालुम व्यिकत बाबत शिकायतकर्ता को हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी बारे व ब्लैकमैल करने व जान से मारने का भय दिखाकर 50 लाख रुपये मांगने बारे बाद जांच व बा आदेश अफसरानबाला के अभियोग अंकित करने हेतु थाना में प्राप्त होने पर अभियोग नं० 40 दिनांक 05.02.2025 धारा 308(1), 308(5), 351(2), 61(2) BNS थाना सै० 5 पंचकूला दर्ज रजिस्टर किया जाकर नकल पुलिस मिशल मय असल लेख आगामी अनुसंधान हेतू स०उ०नि रिषी पाल न० 05/ए के हवाले की जायेगी । प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पैशल प्रतियां तैयार करके अफसरानबाला की सेवा मे बजरिया ई-मेल/डाक भेजी जा रही है । हालात बारे बजरिया फोन प्रबंधक अफसर को अवगत करवाए गए । (अभियोग का इन्द्राज उ०नि० सुखविन्द्र पाल न० 17-ए थाना सै० 5 पंचकूला की आईडी रोल में दर्ज किया गया ।) ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** **(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** RISHIPAL **Rank (पद):** Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No. (सं.): 30YNR **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): HITENDER SINGH

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): Inspector

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female					Is pox pitted: Yes
2	Female					Is pox pitted: Yes
3	Male					Is pox pitted: Yes
4	Male					Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)